संख्या- 9-2025-डीएफए-1081829-38-7099-888-2019

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 11-06-2025

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा एमआईएस पर वर्क०आई०डी० जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की मजदूरी Skilled/Semi-skilled की मजदूरी Material and admin list भुगतान हेतु ग्राम पंवायत्त के लॉग-इन से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1350/अड़तीस-7-2022-296नरेगा/2013, दिनांक 22-08-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा एमआईएस पर वर्क आईडी जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की मजदूरी Skilled/Semi-skilled की मजदूरी Material and admin list भुगतान हेतु ग्राम

http://shasanadesh.up.gov.in

पसायत के लॉग-इन से किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त् शासनादेश के प्रस्तर-3(क)(4) में निम्न प्राविधान किया गया है-

एमआईएस फीडिंग का उत्तरदायित्व- एमआईएस संबंधी उपरोक्त वर्णित कार्यों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सेवक तथा ग्राम रोजगार सेवक न होने की स्थिति में पंचायत सहायक का होगा।

2- उल्लेखनीय है कि पंचायत सहायक मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत योजित कार्मिक नहीं है तथा पंचायत सहायक हेतु मनरेगा एक्ट के तहत कार्यों के संपादन हेतु दायित्व निर्धारित नहीं है। पंचायत सहायक पंचायातीराज विभाग के नियत्रणाधीन कार्मिक है, जब कि ग्राम रोजगार सेवक का चयन मुख्य रूप से मनरेगा एक्ट के तहत कार्यों के संपादन के लिए किया गया है। जनपदों से राज्य स्तर पर संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि पंचायत सहायक ग्राम्य विकास के नियत्रणाधीन कार्मिक नही है, तो उत्तके द्वारा अनियमितता किये जाने पर क्या कार्यवाही की जाएगी। पंचायत सहायक पंचायतीराज के नियत्रणाधीन होने के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग पंचायत सहायक के ऊपर कार्यवाही हेतु अधिकृत भी नहीं है।

4- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

<u>एमआईएस फीडिंग का उत्तरदायित्व</u>- एमआईएस सबंधी उपरोक्त वर्णित कार्यों का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सेवक तथा ग्राम रोजगार सेवक न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव का होगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी स्वविवेक से निकटस्थ ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक से कार्य लिए जाने पर निर्णय से सकते है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अतः शासनादेश दिनांक 22-08-2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 22-08-2022 में उल्लिखित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

http://jansanadesh.up.gov.in

भवदीय,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या-9-2025-डीएफए-1081829-38-7099-888-2019तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in